राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1973/2025

दौलतराम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.02.2025

आदेश की दिनांक : 17.03.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय, लेवल द्वितीय, सामाजिक अध्ययन के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जामसर, पंचायत समिति, जामसर, जिला बीकानेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण अध्यापक ग्रेड तृतीय, लेवल द्वितीय, राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय, रेल्वे स्टेशन जामसर, बीकानेर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जामसर

पंचायत समिति, जामसर, बीकानेर अध्यापक ग्रेड तृतीय, लेवल प्रथम के विरूद्ध किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.01.2023 एवं 03.01.2023 तथा 14.11.2024 की स्थानांतरण नीति एवं दिशा–निर्देशों के विपरीत जारी किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अनुमति भी नहीं ली गई है। इस प्रकार जारी किया गया स्थानांतरण आदेश नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन दिया, परंतु कोई विचार नहीं किया गया। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान पदस्थापित किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय, लेवल द्वितीय, सामाजिक अध्ययन के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जामसर, पंचायत समिति, जामसर, जिला बीकानेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण अध्यापक ग्रेड तृतीय, लेवल द्वितीय, राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय, रेल्वे स्टेशन जामसर, बीकानेर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जामसर पंचायत समिति, जामसर, बीकानेर अध्यापक ग्रेड तृतीय, लेवल प्रथम के विरूद्ध किया गया है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश

(Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष